



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-24.10.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त अजय कुमार शुक्ला को विभिन्न प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा अधिकतम 02 वर्ष 06 माह के कारावास व कुल 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु०अ०सं०- 589/2009, धारा- 411, 414 भादवि तथा मु०अ०सं०- 590/2009, धारा-307 भादवि तथा मु०अ०सं०- 593/2009 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अजय कुमार शुक्ला पुत्र बट्टीप्रसाद शुक्ला निवासी- बी-1/84डी-1 धर्मगंज टोला अरुसी, थाना-भेलूपुर, जनपद-वाराणसी को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24.10.2024 को मा० न्यायालय एडीजे-13/गै०एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अजय कुमार शुक्ला उपरोक्त को मु०अ०सं०- 589/2009, धारा- 411, 414 भादवि के अंतर्गत अधिकतम 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मु०अ०सं०- 590/2009, धारा-307 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मु०अ०सं०- 593/2009 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07-07 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी